

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली
पीठासीन अधिकारी:- श्री बलदेवाराम धोजक (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या:- 02/2021

दायरा दिनांक :- 01-04-2021

अपीलाण्ट:-	बनाम	रेसपोडेंट्स:-
1. गणपतलाल पुत्र उदाजी, जाति चौधरी, निवासी सिंदरली, हाल देसूरी, जिला पाली राजस्थान		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी, तहसील देसूरी, जिला पाली।

उपस्थिति:-

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अधिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह लावाना, राजकीय अधिवक्ता रेसपोडेंट्स।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय दिनांक 20.09.2019 जिसे न्यायालय तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रकरण संख्या 1/2019 सरकार बनाम गणपत में पारित किया।

:-निर्णय:-


दिनांक 5/8/2022

1. अपीलांट कि ओर से यह अपील रेसपोडेंट्स के विरुद्ध पेश कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को ग्राम देसूरी के खसरा संख्या 1950/3441 रकबा 200 वर्गफीट बाबत पक्की दुकान निर्माण का धारा 91 के तहत अपीलाधीन निर्णय द्वारा दोषी ठहराते हुए बेदखली का आदेश पारित कर 60000/- रुपये जुर्माना आरोपित किया गया, जिसके विरुद्ध उपरोक्त अपील पेश की जा रही है।

2. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को विधिनुसार साक्ष्य सुनवाई सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया और पेशी दिनांक 20.09.2019 की सुनवाई जरिये मोबाईल देने पर अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय में पेश हुआ तथा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित प्रकरण की नकलो की मांग की। जिस पर अपीलार्थी की उपस्थिति के हस्ताक्षर करवाकर बताया गया कि आईदा वापस नोटिस आवे तब आना, जिस पर अपीलार्थी वापस चला गया। उसके बाद न तो कोई नोटिस दिया, न ही पुनः तलबी जारी की गई। उपरोक्त दिनांक को ही अलग से निर्णय लिखाया जाकर अपीलार्थी को बेदखल करने एवं 60000/- रुपये जुर्माना के दण्ड से आरोपित कर दिया। विधिनुसार अपीलार्थी को जवाब, साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक था, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर अवैध रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो प्रथमदृष्टया अपास्त योग्य है।

3. यह है कि अपीलार्थी का खसरा संख्या 1950/3441 में न तो अतिक्रमण है, न ही निर्माण है, न ही कभी भी पूर्व में अतिक्रमण किया, न ही निर्माण किया, बल्कि अपीलार्थी का निर्माण स्वयं की मालिकाना संपरिवर्तन सुदा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि खसरा संख्या 1950/1 रकबा 0.1460 हैक्टेयर पर निर्माण किया हुआ है एवं आधिपत्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर बिना किसी प्रकार का नाप चौक किये, बिना मौके की रिपोर्ट मंगवाये सीधे ही जैर अपील आदेश पारित कर दिया, जो अवैध होने से अपारत योग्य है।

4. यह है कि श्रीमान उपरोक्त संदर्भ में मौके की वास्तविक भौतिक सीमांकन रिपोर्ट मंगवा सकते हैं, जिससे सारी स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जाएगी कि अपीलार्थी का कभी भी उक्त खसरा


अति जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

संख्या 1950/3441 रकबा 200 वर्गफीट में न तो अतिक्रमण रहा है, न ही दुकान का निर्माण किया गया है। अपीलान्त द्वारा अलग से सीमांकन रिपोर्ट मंगवाने हेतु आवेदन पेश किया जा रहा है।


5. यह है कि धारा 91 की कार्यवाही में लगान का 50 गुणा जुर्माना आरोपित किया जा सकता है, इससे अधिक जुर्माना लगाने की अधिकारिता अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है। खरारा संख्या 1950/3441 का कुल रकबा 0.18 हैक्टेयर है, जिसका लगान 1.26 रुपये है, जिसमें से अपीलार्थी का अतिक्रमण मात्र 200 वर्गफीट में बताया गया है, अधिकतम लगान 1.26 रुपये का 50 गुणा भी किया जावे तो भी 65 रुपये से अधिक नहीं बनता है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अधिकारिता के 60 हजार रुपये का जुर्माना आरोपित किया गया है, जो अवैध होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमावे तथा अपीलाधीन निर्णय अपास्त फरमावे।

6. अपील Subject to limitaion दर्ज रजिस्टर की जा कर रेस्पोंडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकिय अधिवक्ता उपस्थित।

7. अधिनस्थ न्यायालय का मूल रेकॉर्ड तलब किया गया तथा अपीलांत के अधिवक्ता के निवेदन पर तहसीलदार देसूरी से ग्राम देसूरी के विवादित खरारा नम्बर 1950/3441 रकबा 0.18 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार देसूरी द्वारा जरिये पत्रांक 450 दिनांक 04.03.2022 को उक्त खसरे की वर्तमान मौका रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित की जो शामिल मिसाल की गई तथा एक प्रति वकील अपीलांत को उपलब्ध कराई गई।

पत्रावली वारते बहस हेतु मुकर्र की गई। बहस उभयपक्ष सूनी गई।



9. वकील अपीलांत ने बहस के दौरान अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को विधिनुसार साक्ष्य सुनवाई सद्युत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया और पेशी दिनांक 20.09.2019 की सूचना जरिये मोबाईल देने पर अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में पेश हुआ तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित प्रकरण की नकलो की मांग की। जिस पर अपीलार्थी की उपस्थिति के हस्ताक्षर करवाकर बताया गया कि आईदा वापस नोटिस आवे तब आना, जिस पर अपीलार्थी वापस चला गया। उसके बाद न तो कोई नोटिस दिया, न ही पुनः तलबी जारी की गई। उपरोक्त दिनांक को ही अलग से निर्णय लिखाया जाकर अपीलार्थी को वेदखल करने एवं 60000/- रुपये जुर्माना के दण्ड से आरोपित कर दिया। विधिनुसार अपीलार्थी को जवाब, साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक था, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर अवैध रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो प्रथमदृष्ट्या अपास्त योग्य है।

10. वकील अपीलांत ने द्वितीय तर्क दिया कि अपीलार्थी का खरारा संख्या 1950/3441 में न तो अतिक्रमण है, न ही निर्माण है, न ही कभी भी पूर्व में अतिक्रमण किया, न ही निर्माण किया, वदिक अपीलार्थी का निर्माण स्वयं की मालिकाना संपरिवर्तन सुदा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि खरारा संख्या 1950/1 रकबा 0.1460 हैक्टेयर पर निर्माण किया हुआ है एवं आधिपत्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर बिना किसी प्रकार का नाप चौक किये, बिना मांके की रिपोर्ट मंगवाये सीधे ही जैर अपील आदेश पारित कर दिया, जो अवैध होने से अपास्त योग्य है।

11. वकील अपीलांत के तृतीय तर्क दिया कि स्वयं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी द्वारा अपने पत्रांक 450 दिनांक 04.03.2022 के तहत प्रस्तुत वर्तमान मौका रिपोर्ट में यह उल्लेखित किया है कि अपीलांत द्वारा अपनी संपरिवर्तन भूमि में स्थित निर्माण जो सिवायचक भूमि के खरारा

अति जिल्म कलक्टर (साले)
पाली (राज)

नम्बर 1950/3441 में विरही प्रकरण का अतिक्रमण प्रतिबन्धित नहीं होता है। अर्थात् पूर्व में बताया गया 200 वर्ग फीट का अतिक्रमण सिवायचक भूमि ख.नं. 1950/3441 में नहीं पाया गया। अपीलान्त की स्वयं की संपरिवर्तन सुदा भूमि में किया हुआ पाया गया। अतः अपील स्वीकार फरमावे तथा अपीलाधीन निर्णय अपास्त फरमावे।

12. वकील अपीलान्त ने चतुर्थ तर्क दिया कि अपीलान्त को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हाल ही में दिनांक 08.03.2021 को पटवारी द्वारा अपीलान्त से जुर्माना राशि की मांग करने पर हुई, जिस पर अपीलान्त द्वारा नकलों हेतु आवेदन पेश करवाया, जहां से नकले दिनांक 10.03.2021 को मिलने पर उपरोक्त अपील पेश की जा रही हैं। इससे पूर्व अपीलान्त को निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमावे तथा अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमावे।

13. रेस्पोजेण्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि पटवारी देसूरी की रिपोर्ट मौका फर्द दिनांक 08.08.2019 से स्पष्ट हैं कि अपीलाण्टस द्वारा ग्राम देसूरी के खसरा नम्बर 1950/3441 कुल रकबा 0.18 हैक्टेयर किस्म वा.अ. भूमि में से रकबा 10x20 = 200 वर्ग फीट भूमि पर दुकान बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा था। इस पर न्यायालय तहसीलदार देसूरी द्वारा भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 01/2019 दर्ज किया गया। अतः अपीलान्त का यह तथ्य आधारहीन हैं कि उनके द्वारा ग्राम देसूरी के खसरा नम्बर 1950/3441 पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया हुआ था।

14. राजकीय अधिवक्ता ने द्वितीय तर्क दिया कि अधिनरथ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 20.09.2019 पर अपीलान्त के हस्ताक्षर अंकित हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधिनरथ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सूनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने उपरान्त विधिसम्मत निर्णय दिनांक 20.09.2019 पारित कर अपीलाण्ट को बेदखल करने व जुर्माना राशि 60,000/- रुपये वसूल करने का निर्णय पारित किया गया। अतः अपीलान्त का यह कथन भी आधारहीन हैं कि अधिनरथ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सूनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अतः अधिनरथ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 01/2019 में पारित निर्णय दिनांक 20.09.2019 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाकर अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील खारीज फरमावे।

15. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत, स्थापित, रेकॉर्ड से पुष्ट है कि तहसीलदार भूमिधारी होने के नाते तहसीलदार को पूर्ण अधिकार हैं कि वे सिवायचक भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने दे तथा किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करना पाया जाता है तो संबंधित तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधिसम्मत बेदखली की कार्यवाही की जावे।

16. यह है कि उक्त प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड हल्का पटवारी देसूरी की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 08.08.2019 से स्पष्ट हैं कि अपीलाण्टस द्वारा ग्राम देसूरी के खसरा नम्बर 1950/3441 कुल रकबा 0.18 हैक्टेयर किस्म वा.अ. भूमि में से रकबा 10x20 = 200 वर्ग फीट भूमि पर दुकान बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा था। जिससे अपीलान्त का उक्त तथ्य अस्वीकार है कि अपीलान्त द्वारा ग्राम देसूरी के खसरा नम्बर 1950/3441 पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं कर रखा था।

17. यह है कि अधिनरथ न्यायालय के प्रकरण संख्या 01/2019 की आदेशिका दिनांक 20.09.2019 पर अपीलान्त के हस्ताक्षर अंकित हैं जिससे यह तथ्य भी स्वीकृत, स्थापित, रेकॉर्ड से स्पष्ट है कि अधिनरथ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सूनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के

अति जिला क्लर्क (सीलिंग)
पाली (राज)

बाद निर्णय पारित किया गया है। जिससे अपीलान्त का उक्त कथन भी अस्वीकार है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया।

18. यह है कि प्रकरण में तहसीलदार देसूरी द्वारा जरिये पत्रांक 450 दिनांक 04.03.2022 के तहत प्रस्तुत वर्तमान मौका रिपोर्ट में यह उल्लेखित किया है कि अपीलान्त द्वारा सिवायचक भूमि के खसरा नम्बर 1950/3441 में किसी प्रकार का अतिक्रमण प्रतिष्ठित नहीं होता है। अर्थात् पूर्व में बताया गया 200 वर्ग फीट का अतिक्रमण सिवायचक भूमि ख.नं. 1950/3441 में नहीं पाया गया। अपीलान्त की स्वयं की संपरिवर्तन सुदा भूमि में किया हुआ पाया गया। इसी संबंध में यह तथ्य भी स्वीकृत, स्थापित, रेकॉर्ड से पुष्ट है कि तहसीलदार देसूरी द्वारा ही अपने प्रकरण संख्या 01/2019 में पारित निर्णय दिनांक 20.09.2019 द्वारा अपीलान्त को अतिक्रमि मानते हुए वेदखली का आदेश पारित कर राशि 60,000/- रुपये से आरोपित किया था। इस प्रकार तहसीलदार देसूरी द्वारा दो अलग-अलग विरोधाभास रिपोर्ट पेश की गई हैं जो जांच का विषय प्रतिष्ठित होता है। इस हेतु तहसीलदार देसूरी से अलग से स्पष्टिकरण मांगा जाये।

19. अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेड एक्ट के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

20. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी स्वयं द्वारा अर्थात् रिपोर्ट दिनांक 04.03.2022 के यह उल्लेखित किया है कि अपीलान्त द्वारा ग्राम देसूरी के खसरा नम्बर 1950/3441 सिवायचक भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण प्रतिष्ठित नहीं होता है। अर्थात् पूर्व में बताया गया 200 वर्ग फीट का अतिक्रमण सिवायचक भूमि ख.नं. 1950/3441 में नहीं पाया गया। अपीलान्त की स्वयं की संपरिवर्तन सुदा भूमि में किया हुआ पाया गया। अतः ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी पारित अपीलाधिन आदेश को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतिष्ठित नहीं होता। अतः अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी के प्रकरण संख्या 01/2019 में पारित आदेश दिनांक 20.9.2019 को अपास्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि मौके पर अपीलान्त का सिवायचक भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण है अथवा नहीं? इस संबंध में सम्पूर्ण जांच कर तथा अपीलान्त सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त विधिसम्मत पुनः निर्णय पारित करे। अधिनस्थ न्यायालय का मूल रेकॉर्ड तहसीर के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 5.8.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

असि
5.8.22
असि जिला क्लर्क (सी.सि.ग.)
पाली (राज)